न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम० बांसगांव, गोरखपुर।

उपस्थितः– रमेश सिंह उ०प्र० न्यायिक सेवा।

UPGK120003742018

वाद संख्या–262/2018

रामजी उम्र 60 साल पुत्र लक्ष्मी।

साकिन विशुनपुर राजा, तप्पा चांदपार, परगना धुरियापार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर।

-------------------------**वादी**

बनाम

1. लल्लन उम्र 60 साल पुत्र रामदवन। (मृतक)

1/1. पानमती पुत्री रामदवन।

2. दूधनाथ उम्र 55 साल। (डिलीट)

3. बेचई उम्र 50 साल। (डिलीट)

पुत्रगण कन्हई।

4. पलकधारी उम्र 70 साल पुत्र रामजी। (डिलीट)

5. लालजी उम्र 70 साल पुत्र लक्ष्मी। (डिलीट)

साकिनान मौजा विशुनपुर राजा, तप्पा चांदपार, परगना धुरियापार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर।

-------------------------**प्रतिवादीगण**

निर्णय

1. वादी रामजी व प्रतिवादी पानमती द्वारा सुलहनामा कागज संख्या 21क2 प्रस्तुत किया गया है। वादी रामजी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार और प्रतिवादी पानमती के विद्वान अधिवक्ता श्री सन्दिप सिंह के द्वारा अपने–अपने पक्षकारों की व्यक्तिगत पहचान व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया गया है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वाद पत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति अक्षर ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच,आई,जे,के स्थित मौजा किशुनपुर राजा, तप्पा चांदपार, परगना धुरियापार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर के सम्बन्ध में इम्तनाई का वाद प्रस्तुत किया गया है।

4. वादी व प्रतिवादी के बीच आपस में सुलह हो गयी है। उभय पक्ष को सुलहनामा की शर्तों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। पक्षकार सुलहनामा के शर्तों से सहमत हुए। न्यायालय द्वारा

सुलहनामा कागज संख्या 21क2 को सत्यापित किया गया है। सुलहनामा की शर्तें अवैध प्रकट नहीं होती है।

5. अतः सुलहनामा कागज सं० 21क2 के आधार पर वाद संख्या–262/2018 निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

6. वादी का वाद उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा कागज संख्या 21क2 के आधार पर डिक्री किया जाता है। सुलहनामा कागज संख्या 21क2 डिक्री का अंश होगा। सुलहनामा के पक्षकारों के अतिरिक्त किसी अन्य पक्षकार पर इस निर्णय का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाए।

दिनांक–10.07.2025

(रमेश सिंह)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
बांसगांव, गोरखपुर।
J.O.Code 4813

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10.07.2026

(रमेश सिंह)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
बांसगांव, गोरखपुर।
J.O.Code 4813